

**JAWAHR NAVODAYA VIDYALAYA  
JAFFARPUR KALAN,  
NEW DELHI – 73**

**NOTICE INVITING (RE-TENDER)**

Sealed Tenders are invited from reputed and established suppliers/operators for supply of Lab Equipment, Furniture Items (Showcase Museum), Bus on Rent, Bread for a period of one year.

The method of submission of tender, amounts of Earnest Money/Security Deposit and General Terms and Conditions applicable to contract has been mentioned n Annexure-I. The proforma for submission of tender has been given in Annexure- II (For Price Bid) to this Notice Inviting Tender. The schedule of tender is given as under.

<b>Schedule of Tender</b>	
Cost of Tender Document	Rs. 100/-
Earnest Money and Security Deposit	As per Tender Document
Last Date & Time for sale of tender document	11.03.2017 at 1.00 PM
Last Date & Time for submission of the sealed tenders	11.03.2017 at 4.00 PM
Date & Time for opening of tenders	As notified over Phone/Notice board

The Tender document alongwith terms and conditions can be purchased from Vidyalaya Office on payment of Rs. 100/- (One Hundred only) in form of Cash/Demand Draft issued in favour of Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya on any working day 10.00 A.M. to 4.00 PM.

The tender document can also be downloaded from the website [jnvsouthwest.gov.in](http://jnvsouthwest.gov.in). The tenderers who downloaded the tender document from the website should furnish a separate demand draft for Rs. 100/- (One Hundred only) or deposit cash on or before last date of submission of tender.

The tenders complete in all respect should be dropped in the Tender Box at Jawahar Navodaya Vidyalaya Jaffarpur Kalan, New Delhi. The tenders received after the scheduled date and time will be rejected out rightly.

Each page of tender document to be signed and stamped by the authorized signatory while submitting the tender document. Each page of tender should have proper page numbering.

**Principal  
JNV Jaffapur Kalan**

**जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ, जिला दक्षिण पश्चिम, दिल्ली  
निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें**

1. जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.03.2017 समय 04:00 P.M तक छात्र-छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति हेतु सत्र 2017–18 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा के लिफाफे पर, जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर 'फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा' 2017–18 स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है।
3. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फार्म की शर्तों, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को प्रपत्र की शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे।
4. निविदा में अंकित की गयी दरें समस्त करों, जैसे वेट कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों सहित एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ होनी चाहिए।
5. निविदा फार्म साफ-सुधरे ढंग से भरा होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट छांट यथासंभव नहीं करें। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना अति-आवश्यक है तो उसे साफ-साफ तरीके से करते हुए परिवर्तन करें तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें। परन्तु किसी भी दशा में ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं की जोयेगी।
6. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है। अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकते हैं।
7. निविदा में स्वीकृत दरें एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी। जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध हो जाता है जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा।
8. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि रु0 **2000/-** डिमान्ड ड्राफट द्वारा जमा कराई जाएगी। बैंक डिमान्ड ड्राफट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ के पक्ष में देय होगा। जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उन्हें धरोहर राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। यदि निविदादाता धरोहर राशि के भुगतान में छुट चाहता है तो वह संबंधित सरकारी आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेगा जिसके अन्तर्गत संबंधित फर्म धरोहर राशि जमा कराने की छूट हेतु पात्रता रखती है।
9. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती है तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में सलांगन करें।
10. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी उन्हें कुल अनुमानित क्रय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। इस सुरक्षा राशि में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि समायोजित कर दी जाएगी तथा शेष राशि उन्हें निश्चित अवधि 10 दिन के अन्दर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
11. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबन्ध समाप्ति की तिथि से कुल छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी। यदि निविदा अनुबन्ध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती है तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि से की जाएगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त कर दी जाएगी।
12. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है का आदेश देने की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को सामग्री की आपूर्ति करनी होगी यदि अनुमोदित निविदा दाता

निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर लें या निविदा की आपूर्ति / कार्य किसी अन्य व्यक्ति / फर्म को देकर पूर करवा लें। इस संबंध में अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती निविदादाता / अधिकृत आपूर्तिकर्ता की सुरक्षित जमा राशि से की जाएगी। यदि इस संबंध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता / अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा।

13. यदि निविदादाता आपूर्ति आदेश में दी गई मात्रा को आंशिक रूप से आपूर्ति करता है तो आपूर्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी एवं निविदा निरस्त कर फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिफ्ट सामान या स्कीम दिया जा रहा है तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा।
15. निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है, जिसे निविदा जारीकर्ता / प्राचार्य द्वारा आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
16. निविदादाता प्रिन्टेड एम.आर.पी. दरों के साथ—साथ **Less % on MRP** को अंकित करेंगे। यदि एम.आर.पी. दरों पर संदिग्धता पाई जाती है तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि निविदा करारं को निरस्त कर सामग्री अन्यत्र रथान से आपूर्ति कराकर हानि की भरपाई सप्लायर फर्म से करवा सकता है तथा उसके द्वारा जमा करायी गयी सुरक्षा राशि को जब्त कर सकता है।
17. निविदा फार्म में जिस सामग्री के लिए नमूना मांगा गया है के संबंध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ में लायेंगे। यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मशीन या फर्नीचर है तो उस दशा में निविदादाता अपनी फर्म में ले जाकर उसका नमूना प्रस्तुत करेगा और मशीन को संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारि को उसका निशुल्क प्रशिक्षण भी देगा।
18. आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि / कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा / आपूर्ति आदेश के अनुसार / विनिर्देशन के अनुसार नहीं पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर आपूर्ति की गयी सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जाएगा।
19. ऐसी सामग्री जैसे कपड़ा, स्टेशनरी, जूता—चप्पल जिसकी गुणवत्ता की जांच किसी सरकारी लैब में करवायी जानी है, इस प्रकार की जांच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। जांच ऐजेन्सी का चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा।
20. निविदा उन्हीं फर्मों की स्वीकार की जाएगी जो उस विशिष्ट सामग्री का व्यापार करती हो तथा उसके निमित्त फर्म को उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री का आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण पत्र व वैट नम्बर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार करने हेतु पंजीकृत है।
21. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान, टूट—फूट, लीक, सड़क दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता / आपूर्तिकर्ता जिम्मेदारी होंगे और उस हानि की भरपाई उन्हीं के द्वारा की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
22. आपूर्तिकर्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस. एन.ई.एफ.टी. इत्यादि पर होने वाले व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
23. विवादस्पद आईटमों के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादस्पद आईटमों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कमेटी सदस्य जिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता फर्म का भी होगा कि आपसी सहमति के निर्णय अनुसार होगा।

24. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईंज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा एवं टैण्डर की शर्तें आदि जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। इन्हे प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पहले देख सकता है या प्राप्त कर सकता है। यदि उसे इन शर्तों या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करें तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
25. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा।
26. इन सामान्य शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची तथा विशिष्ट सामग्री अनुसार शर्तों का विवरण इस निविदा फार्म के साथ सलंग्न है।
27. ऐसी सामग्री जिसके निमित्त नमूना भी मांगा गया है निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुगतान की जाएगी तथा नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगे। नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। निविदा पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात ही सैम्पल वापिस किया जायेगा।
28. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम, दिल्ली होगा।
29. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र सलंग्न करेंगे।
- अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर एवं टैन नम्बर की सत्यापित प्रतिलिपि।
  - ब. निर्धारित धरोहर राशि।
  - स. उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ सूचीपत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
  - द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।
  - य. जहां लागू हों, टिन/बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
  - र. फर्म बैंक खाते का नम्बर व आर.टी.जी.एस. नम्बर।

प्राचार्य  
जवाहर नवोदय विद्यालय  
जिला दक्षिण पश्चिम,  
दिल्ली

निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त सं0 01 से 28 तक समस्त शर्तें हमें मान्य हैं।

दिनांक \_\_\_\_\_

निविदादाता के हस्ताक्षर तथा फर्म की सील  
निविदादाता का पुरा पता \_\_\_\_\_

मोबाइल नं0 \_\_\_\_\_